115

न्यायालय – माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2017 निगरानी

III/निगरानी/श्योपुर/भू.रा/2017/4273

श्री जी. के. तिवारी एड. ग्वालियर द्वारा आज दि. 3-11-17 को प्रस्तुत

3-11-17

पं० दि० 20-11-17

3-11-17

1. पिस्ताबाई पत्नी श्री सुरेश जाति मीणा, निवासी ग्राम जाखदा, तहसील कराहल, जिला श्योपुर (म.प्र.)
2. सुग्रीव पुत्र श्री प्रभूलाल, जाति रावत, निवासी ग्राम गोठरा, तहसील कराहल, जिला श्योपुर (म.प्र.)
3. शिव प्रसाद पुत्र श्री प्रभूलाल, निवासी ग्राम गोठरा, तहसील कराहल, जिला श्योपुर (म.प्र.)
4. बृजेश पुत्र प्रभूलाल, निवासी ग्राम गोठरा, तहसील कराहल, जिला श्योपुर (म.प्र.)
5. श्रीमती काडीबाई वैवा स्व0 श्री रामस्वरूप, निवासी ग्राम गोठरा, तहसील कराहल, जिला श्योपुर (म.प्र.)
6. श्रीमती रामपति पत्नी श्री रघुवीर मीणा, निवासी ग्राम गोठरा, तहसील कराहल, जिला श्योपुर (म.प्र.)

–आवेदकगण/निगरानीकर्त्तागण

शाखा प्रभारी (रा.म.) कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर

बनाम

मध्य प्रदेश शासन —— अनावेदक

निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 29.08.2017 द्वारा पारित अपर कलेक्टर, जिला श्योपुर प्रकरण क्रमांक 10/2012–13 स्वमेव निगरानी।

माननीय महोदय,

आवेदकगण/निगरानीकर्त्तागण की ओर से निगरानी निम्नलिखित प्रस्तुत है।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - तीन/निगरानी/श्योपुर/भू.रा./2017/4273

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15/02/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री पी.के. तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.04.2019 को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **<u>आयुक्त चंबल संभाग मुरैना</u>**	